संख्या 14 /2017/846/सत्रह-म-2017-6-9(333)/2016 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य,
मत्स्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 16 जून, 2017**

विषय: ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड एण्ड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत् वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1760.85 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त अवशेष केन्द्रांश को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्वैध किये जाने के फलस्वरूप अन्तरिम बजट के सापेक्ष मछुआ आवास व अन्य को छोडते हुए लेखानुदान अवधि (5/12 भाग) हेतु रू0 833.33333 लाख की वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-299/नि0शा0 दिनांक 25 मई,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड एण्ड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत् वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1760.85 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त अवशेष केन्द्रांश को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा पुनर्वैध पुनर्वैध किये जाने के दृष्टिगत प्रश्नगत योजना /मद में प्राविधानित रू0 2000.00 लाख के अन्तरिम अन्तरिम बजट के सापेक्ष मछुआ आवास व अन्य को छोडते हुए लेखानुदान अवधि (5/12 भाग) हेतु रू0 833.33333 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या -एफ0न0जे0-18001/1/2017-एफ0वाई0 दिनांक 15-05-2017 द्वारा ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड एण्ड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 1760.85 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है। ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017 -18 में अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक – 2405- मछली पालन- 101- अन्तर्देशीय मछली पालन – 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0102- ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना (राज्यांश) 20- सहायता अनुदान – सामान्य(गैरवेतन) मद में रू0 2000.00 लाख का अन्तरिम बजट प्राविधानित किया गया है । शासन के पत्र संख्या -4/2017 271 /सत्रह-म- 2017-6-9(333)/2016 टी0सी0 दिनांक 25 मार्च 2017 द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड एण्ड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज योजनान्तर्गत (मछुआ आवास योजना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

को छोडते हुए) प्रथम किश्त के रूप में रू0 850.49 लाख (563.43 लाख केन्दांश व मैचिंग लागत रू0 287.06 लाख) की धनराशि निर्गत की गयी थी, जिसके सापेक्ष कोषवाणी रिपोर्ट के अनुसार रू0 692.29710 लाख की धनराशि व्यय की गयी तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गयी , किन्तु मत्स्य निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण में 03 जनपदों -इटावा, मुरादाबाद व भदोही में व्यय की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण रू0 688.250580 लाख के व्यय की ही पुष्टि की गयी है।

3- अतः संयुक्त निदेशक मत्स्य द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड एण्ड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1760.85 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त अवशेष केन्द्रांश को पुनर्वैध किये जाने के दृष्टिगत ब्लू रिवोल्यूशन योजना में वर्ष 2017-18 में प्राविधानित रू0 2000.00 लाख के अन्तरिम बजट के सापेक्ष राज्य स्तरीय फिश मार्केट, बृहद फीड मिल, सोलर पावर एक्वाकल्चर व मछुआ आवास उपयोजनाओं को छोडते हुए द्वितीय किश्त के रूप में लेखानुदान अवधि (माह अप्रैल 2017 से अगस्त 2017अर्थात वर्ष 5/12 भाग) हेतु रू0 833.33333 लाख (रू0 आठ करोड तैतीस लाख तैतीस हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) की धनराशि,जिसमें केन्द्रांश धनराशि रू0 552.22222 लाख (रू0 पॉच करोड बावन लाख बाईस हजार दो सौ बाईस मात्र) तथा मैचिंग राज्यांश धनराशि रू0 281.11111 (रू0 दो करोड इक्यासी लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह मात्र) सम्मिलित है, को निम्नलिखित तालिकानुसार मदवार/ उपयोजनावार निर्गत करने तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है –

(रू0 लाख में)

क्र0	परियोजना का नाम	लक्ष्य	परियोजना लागत	कुल बजट (के0 50 प्रतिशत राज्यांश 25 प्रतिशत)	प्रथम किश्त अवमुक्त धनराशि (के0 50 प्रतिशत राज्यांश 25 प्रतिशत)	कुल व्यय (सोलर पावर एक्वाकल्चर मद में 5.110000 को छोडते हुए)	द्वितीय किश्त के रूप में लेखानुदान अवधि में निर्गत होने वाली धनराशि	जनपदवार विवरण एवं संलग्नक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नये तालाबों का निर्माण	22 (हे0)	154.00	115.500	52.48	46.985310	60.53175	मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 299/नि0शा0 दिनांक 25 मई 2017 द्वारा संलग्नक के रूप में
2	फिश सीड रियरिंग	20 (हे0)	120.00	90.000	40.89	34.750000	55.25000	
3	मत्स्य पालन हेतु इनपुट कास्ट	347 (हे0)	520.50	390.375	177.32	159.819790	68.46894	
क	नये तालाबों में निवेश	22 (हे0)			11.22	10.045050	4.00000	
ख	सुधारे गये तालाबों में	325(हे0)			166.10	149.774740	64.46894	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	निवेश							उपलब्ध कराये गये जनपदवार फांट/ विवरण के अनुसार
4	तालाब सुधार	325(हे0)	1137.50	853.125	387.6	348.570840	491.00764	
5	आटोरिक्सा आइस बाक्स सहित	06 सं0	12.00	9.00	9.00	4.500000	4.50000	
6	वाईसिकल आइस बाक्स सहित	84 सं0	2.52	1.89	1.89	0.765000	1.12500	
7	मोटर साइकिल आइस बाक्स सहित	56 सं0	33.60	25.20	25.2	16.200000	9.00000	
8	मत्स्य बीज हैचरियों की सथापना	10 सं0	250.00	187.50	85.19	68.150000	119.35000	
9	लघु फिड मिल	01 सं0	10.00	7.50	3.40	3.400000	4.10000	
10	प्रशासनिक व्यय	-	47.38	47.38	21.52	0.000000	20.00000	मत्स्य निदेशालय स्तर से किया जायेगा (के0 50 प्रतिशत राज्यांश 50 प्रतिशत
	योग		2287.50	1727.47	804.49	683.140580	833.33333	

(रू0 आठ करोड तैतीस लाख तैतीस हजार तीन सौ तैंतीस मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0 /डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा ।

(2) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा ।

(3) क्रय की जाने वाली सामग्री के सम्बंध में सामग्री/ उपकरण क्रय विषयक संगत शासनदेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(7) शासकीय व्यय के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

(8) भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या-20/2016/2362/सत्रह-म- 2016-6-9(333)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत मार्ग-मार्ग- निर्देश /गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/ कार्यक्रम में इस मद में किसी अन्य योजना /स्रोत से धनराशि प्राप्त नही हुई है ।

4- उक्त धनाशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक – 2405- मछली पालन-101- अन्तर्देशीय मछली पालन – 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0102- " ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना" (राज्यांश) 20- सहायता अनुदान -सामान्य(गैरवेतन) मद के नामें डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2017/बी- 1-348/ दस-2017-231/2017 दिनांक 20-03-2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत् किये जा रहे है।

भवदीय

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 14 /2017/ 846(1)/सत्रह-म-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
3- संयुक्त निदेशक (मत्स्य) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
5 - वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0 प्र0 लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।